

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या :- 29/23

तारीख दायर 31/3/23

शंकरलाल पुत्र रता जाति भीणा उम्र वयस्क निवासी अग्गड तहसील लसाड़िया जिला उदयपुर (राज.)

.....प्रार्थी

बनाम

1. काली पत्नि भंवरलाल जाति भील उम्र वयस्क निवासी तिलस्वां तहसील बिजौलियां जिला जिला भीलवाड़ा (राज.)
2. माधु पुत्र देबी जाति भील उम्र वयस्क निवासी नीमड़ीगवां तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)

.....विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 - 128 रा0ले0रे0एक्ट

-: आदेश :-

दिनांक 31/3/23

प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक श्री घनश्याम लाल धाकड़ एडवोकेट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते भूमि मौजा ग्राम पचानपुरा पटवार हल्का चांदजी की खेड़ी तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 171 पर अंकित आराजी संख्या 804/531 रकबा 0.6070 हैक्टेयर, एवं ईसी मौजा ग्राम पचानपुरा पटवार हल्का चांदजी की खेड़ी में खाता संख्या 172 पर अंकित आराजी संख्या 805/534 रकबा 0.4290 हैक्टेयर भूमि है विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा करते है। अतः पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावे साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2076-2079 के अवलोकन से प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार है। पड़ौसियान के विवाद करने बाबत् शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढ़ी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। भू-अभिलेख निरीक्षक सलावटिया को पत्थरगढ़ी बाबत् कमिश्नर नियुक्त किया जाता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान लेण्ड रेकार्ड एक्ट स्वीकार किया जाकर उपरोक्त वर्णित मौजा ग्राम पचानपुरा पटवार हल्का चांदजी की खेड़ी तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 171 पर अंकित आराजी संख्या 804/531 रकबा 0.6070 हैक्टेयर, एवं ईसी मौजा ग्राम पचानपुरा पटवार हल्का चांदजी की खेड़ी में खाता संख्या 172 पर अंकित आराजी संख्या 805/534 रकबा 0.4290 हैक्टेयर भूमि दोनो खातो की भूमि की बशामलात पड़ौसियान के पत्थरगढ़ी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढ़ी शुल्क राशि 100 /- रुपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावे।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया



उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा
बिजौलियाँ

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या - 29/23

तारीख दायर 31/3/23

प्रेषिति :-

तहसीलदार
बिजौलियाँ

विषय :- प्रकरण संख्या 29 / 2023 पत्थरगढ़ी बाबत।

शंकरलाल पुत्र रता जाति मीणा उम्र वयस्क निवासी अग्गड तहसील लसाड़िया जिला उदयपुर (राज.)

.....प्रार्थी

बनाम

1. काली पत्नि भंवरलाल जाति भील उम्र वयस्क निवासी तिलस्वां तहसील बिजौलियां जिला जिला भीलवाड़ा (राज.)
2. माधु पुत्र देबी जाति भील उम्र वयस्क निवासी नीमड़ीगवां तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)

.....विपक्षीगण

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अनवानी प्रकरण में आदेश होकर लेख है जाकर मौजा ग्राम पचानपुरा पटवार हल्का चांदजी की खेड़ी तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 171 पर अंकित आराजी संख्या 804/531 रकबा 0.6070 हैक्टेयर, एवं ईसी मौजा ग्राम पचानपुरा पटवार हल्का चांदजी की खेड़ी मे खाता संख्या 172 पर अंकित आराजी संख्या 805/534 रकबा 0.4290 हैक्टेयर भूमि दोनो खातो की भूमि की बशामलात पड़ोसीयान के पत्थरगढ़ी की जावें। मौके पर पत्थरगढ़ी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जरिये पत्थरगढ़ी कब्जा नही हटाया जावे तथा समक्ष न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें। आदेश पत्थरगढ़ी हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक सलावटिया को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है एवं कमिश्नर फीस 500/- रुपये वक्त पत्थरगढ़ी प्रार्थी अदा करेगा। पत्थरगढ़ी करने से पूर्व पड़ोसी एवं विपक्षीगणो को सूचित करे।

पत्थरगढ़ी कर पालना रिपोर्ट 20 दिन में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करे।



उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा
बिजौलियाँ